ANNEX-V

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1137] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939
No. 1137] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(एसएस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

का. आ. 1284 (अ).– सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और कार्यक्षमता लाता है और फायदाग्राहियों को अपनी हकदारियां एक आसान और धाराप्रवाह तरीके से सीधे प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करने के लिए बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत का निराकरण करता है;

और भारत सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) छात्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् योजनाएं कहा गया है) के जरिए छात्रवृत्ति प्रसुविधाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है:

(i) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
(ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना;
(iii) मेरिट–सह–साधन छात्रवृत्ति योजना;

और उपर्युक्त योजनाओं में भारत की संचित निधि से किया गया व्यय अंतर्वलित है;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:–

1. (1) योजनाओं के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी पात्र व्यक्ति को उसके पास आधार होने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित है।

(2) योजनाओं के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति, जिसके पास आधार नहीं है या आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को एतद्द्वारा 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, द्वारा उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराना अपेक्षित है जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया

गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं है तो उस राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग के लिए यह अपेक्षित है कि वह यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे :

परंतु किसी व्यक्ति को आधार सौंपे जाने तक योजनाओं के अधीन प्रसुविधा ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर दिए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसका नामांकन हुआ है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उसके अनुरोध की प्रति, जैसा पैरा 2 के उप पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या (पीएएन) कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) स्कूल की सरकारी मोहर के अधीन स्कूल के मुख्याध्यापक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया छात्र का फोटो सहित पहचान प्रमाण–पत्र; या (vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vii) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. योजनाओं के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और परेशानी रहित प्रसुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:–

(क) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग के अधीन संस्थानों के माध्यम से फायदाग्राहियों को मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि योजनाओं के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके और उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केन्द्रों में 30 जून, 2017 तक अपना नामांकन करवाने की सलाह दी जा सके यदि उनका पहले से नामांकन नहीं हुआ है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) उनके आस–पास जैसे कि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण योजनाओं के फायदाग्राही यदि आधार के लिए नामांकन करवाने में सक्षम नहीं हैं तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी संबंधित विभाग के लिए सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और फायदाग्राहियों को आधार नामांकन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित पदाधिकारी या इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए वेब पोर्टल के जरिए अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप–पैरा (3) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देते हुए अपने अनुरोध रजिस्टर करने का अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से असम, मेघालय और जम्मू– कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत होगी।

[फा. सं. 9/12/2016–एसएस]

नीवा सिंह,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(SS Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2017

S.O.1284(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, Ministry of Minority Affairs (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is providing assistance in the form of scholarship benefits (hereinafter referred to as benefits) for students (hereinafter referred to as beneficiaries) through the following Central Sector schemes (hereinafter referred to as the schemes):

(i) Pre-Matric Scholarship Scheme;
(ii) Post-Matric Scholarship Scheme;
(iii) Merit-Cum-Means Scholarship Scheme;

And whereas the aforesaid schemes involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An eligible Individual desirous of availing the benefits under the schemes is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefit under the schemes who do not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by 30th June 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals, subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip: or

(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Ration Card, or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) any other documents specified by the State Government or Union territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the schemes to the beneficiaries under the schemes, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries through the institutes under the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration to make them aware of the requirement of Aadhaar under the schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries of the schemes are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within near vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the concerned department in charge of implementation of the schemes in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers with other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the State Government or Union territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 9/12/2016-SS]

NIVA SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.01 12:18:53 +05'30'